



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेर-पी.एस.जी.-13.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (6)	द्वितीय अपील पदनाम (7)
-----------	------------	------------------------	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------

13.3	उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या जैव उर्वरक अथवा कार्बनिक उर्वरक मिश्रण या अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण हेतु प्रमाण-पत्र/कीटनाशक विनिर्माण हेतु अनुज्ञापि जारी करना।	संयुक्त संचालक (खाद्य एवं उर्वरक/पौध संरक्षण) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।	45 कार्य दिवस।	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।	30 कार्य दिवस।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
------	---	--	----------------	---	----------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.4 उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या जैव उर्वरक अथवा कार्बनिक उर्वरक मिश्रण या अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण हेतु प्रमाण-पत्र/कीटनाशक विनिर्माण हेतु अनुज्ञाप्ति नवीनीकरण करना.	संयुक्त संचालक (खाद्य एवं उर्वरक/पौध संरक्षण) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	45 कार्य दिवस.	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.